

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122025-268463 CG-DL-E-12122025-268463

असाधारण EXTRAORDINARY

माग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5521]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947

No. 5521]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विमाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5709(अ).—स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के तहत निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिनांक 7 मई 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (іі) में प्रकाशित भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की दिनांक 3 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1700(अ.) में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

- 2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 2 से 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :-
- "2. श्री गुरइकबाल सिंह बेदी ऑटिज़्म इंडिया टुडे, पंजाब
- डॉ आशीष कुमार
 आस्था रिहैब केयर सोसाइटी, ओडिशा

-सदस्य

(स्वैद्धिक संगठन के प्रतिनिधि -स्वपरायणता)

-सदस्य

(स्वैद्धिक संगठन के प्रतिनिधि –प्रमस्तिष्क घात)

4.	श्री सुखामी लाल	-सदस्य
	जीवन ज्योति समाज सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश	[स्वैछिक संगठन के प्रतिनिधि – मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता)]
5.	श्री पंकज मारू	- सदस्य
	लखदातार फाउंडेशन द्वारा संचालित सारथी रतलाम, मध्य प्रदेश	(एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के प्रतिनिधि – बहुदिव्यांगता)
6.	सुश्री चैताली गामी	- सदस्य
	साउथ कोलकाता पारसमोनी, पश्चिम बंगाल	(एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के प्रतिनिधि - स्वपरायणता)
7.	सुश्री सीमा चड्ढा	- सदस्य
	मुस्कान पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिल्ली	(एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स के प्रतिनिधि –मानसिक मंदता)
8.	श्री मोहन कुमार	- सदस्य
	कोसी क्षेत्रीय विकलांग विधवा वृद्ध कल्याण समिति, बिहार	(एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के प्रतिनिधि - बहुदिव्यांगता)
9.	श्री कपिल कुमार अग्रवाल	- सदस्य
	विकलांग सहारा समिति, दिल्ली	(एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के प्रतिनिधि - बहुदिव्यांगता)
10	. डॉ. सपम जसोवंत सिंह	- सदस्य
	हैंडीकैप्ड डेवलेपमेंट फाउंडेशन, मणिपुर	(एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के प्रतिनिधि – प्रमस्तिष्क घात)"।

3. उपरोक्त सदस्य तीन साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के पद पर रहेंगे और कोई भी सदस्य 65 वर्ष की आयु के बाद सदस्य के तौर पर पद पर नहीं रहेगा।

[फा. सं. 26-06/2018-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: अधिसूचना संख्या का.आ. 1700(अ.), दिनांक 03 मई, 2019 के जिरए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में मूल अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और तदुपरांत अधिसूचना संख्या का.आ. 5380(अ.), दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (Department of Empowerment of Persons With Disabilities) NOTIFICATION

New Delhi, the 05th December, 2025

S.O. 5709(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) number S.O. 1700(E), dated the 3rd May, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (ii), dated the 7th May, 2019, for appointment of Members under clause (b) of sub-section (4) of section 3 of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the said notification, for serial numbers 2 to 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"2.	Shri Guriqbal Singh Bedi	-Member
	Autism India Today, Punjab	(Representative from Voluntary Organisation-Autism)
3.	Dr Ashish Kumar	-Member
	Aastha Rehab Care Society, Odisha	(Representative from Voluntary Organisation-Cerebral Palsy)
4.	Shri Sukhami Lal	-Member
	Jeevan Jyoti Samaj Sewa Sansthan, Uttar Pradesh	[Representative from Voluntary Organisation-Mental Retardation (Intellectual Disabilities)]
5.	Shri Pankaj Maru	-Member
	Sarthi Ratlam Run by Lakhdatar Foundation, Madhya Pradesh	(Representative from Association of Parents -Multiple Disability)
6.	Ms. Chaitali Gami	-Member
	South Kolkata Parasmoni, West Bengal	(Representative from Association of Parents -Autism)
7.	Ms. Seema Chadha	-Member
	Muskaan Parents Association for the Empowerment of Persons with Intellectual Disability, Delhi	(Representative from Association of Parents-Mental Retardation)
8.	Shri Mohan Kumar	-Member
	Koshi Kshetriya BiklangBidhwa Bridh Kalyan Samiti, Bihar	(Representative from Association of Persons with Disability-Multiple Disability)
9.	Shri Kapil Kumar Aggarwal	-Member
	Viklang Sahara Samiti, Delhi	(Representative from Association of Persons with Disability-Multiple Disability)
10.	Dr Sapam Jasowanta Singh	-Member
	Handicapped Development Foundation, Manipur	(Representative from Association of Persons with Disability-Cerebral Palsy)".

3. The Members specified above shall hold office of the Board of National Trust for a period of three years and none of them shall hold office as Member after he has attained the age of sixty-five years.

[F. No. 26-06/2018-DD-III] RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O.1700(E), dated the 3rd May, 2019 and subsequently amended *vide* notification number S.O.5380(E), dated the 9th November, 2022.